

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(17)एमई/ग्रुप.1/2012

जयपुर, दिनांक/12.02.13

"आदेश"

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24बीबी के उपनियम (5) के अंतर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषा पर रेडियो डायग्नोसिस विशिष्टता के निम्नांकित शिक्षक चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वरिष्ठ आचार्य / आचार्य / सह आचार्य पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम चिकित्सक	वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नति पर प्राप्त पद	पदोन्नति तिथि
1	डा० ए०पी०वर्मा	आचार्य, मेडिकल कालेज, कोटा	वरिष्ठ आचार्य, मेडि.कालेज, कोटा	1.4.2011
2	डा० मांगी लाल मीना, अजजा	आचार्य, मेडिकल कालेज, उदयपुर	वरिष्ठ आचार्य, मेडि.कालेज, उदयपुर	1.4.2011
3	डा० पुष्पा गुप्ता	आचार्य, मेडिकल कालेज, अजमेर	वरिष्ठ आचार्य, मेडि.कालेज, अजमेर	1.4.2011
4	डा० आर० सी० यादव	आचार्य, मेडिकल कालेज, जयपुर	वरिष्ठ आचार्य, मेडि.कालेज, जयपुर	1.4.2011
5	डा० अमृत लाल चौहान, अजा	सह आचार्य, मेडिकल कालेज, जोधपुर	आचार्य, मेडि.कालेज, जोधपुर	1.4.2011
6	डा० मूलचन्द बबरेवाल, अजा	सेवानिवृत्त सह आचार्य, मेडिकल कालेज, कोटा	आचार्य, (सेवानिवृत्त)	1.4.2011
7	डा० मीनू बगरहट्टा	सह आचार्य, मेडिकल कालेज, जयपुर	आचार्य, मेडिकल कालेज, जयपुर	1.4.2011
8	डा० सुरेश चन्द बसेर	सह आचार्य, मेडिकल कालेज, उदयपुर	आचार्य, मेडिकल कालेज, उदयपुर	1.4.2011
9	डा० कुलदीप मेहंदीरत्ता	सह आचार्य, मेडिकल कालेज, जयपुर	आचार्य, मेडिकल कालेज, जयपुर	1.4.2011
10	डा० नरेन्द्र कुमार करदम, अजा.	सह आचार्य, मेडिकल कालेज, उदयपुर	आचार्य, मेडिकल कालेज, उदयपुर	31.3.2012
11	डा० अविनाश गुप्ता	सहायक आचार्य, मेडि. कालेज, अजमेर	सह आचार्य, मेडिकल कालेज, अजमेर	28.7.2012
12	डा० कीर्ति राणा	सहायक आचार्य, मेडिकल कालेज, जोधपुर	सह आचार्य, मेडिकल कालेज, जोधपुर	19.8.2012
13	डा० धर्मराज मीणा अजजा	सहायक आचार्य, मेडिकल कालेज, कोटा	सह आचार्य, मेडिकल कालेज, कोटा	29.7.2012

आज्ञा से,

*804*

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी चिकित्सा शिक्षा।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
3. अतिरिक्त सचिव, शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
4. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, जयपुर/उदयपुर/अजमेर/जोधपुर/कोटा।
5. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा प्रधानाचार्य।
6. रक्षित पत्रावली।

*804*  
सहायक शासन सचिव